

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 09/09/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 09/09/2024 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)
2. श्री जगदीश चंद्र, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, कार्यालय अपर डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
3. श्री शशि प्रभाकर, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
4. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSZ) और (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 27/08/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।
दिनांक 27/08/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 27/08/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) आरएफबी लेटेक्स लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन/विवरण का समावेश।
2.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रीतपाल सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। अनुमोदन समिति ने डिस्चार्ज से पहले अपशिष्ट के उपचार के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र

सुरेन्द्र मलिक

12/01/2019-Proj

I/69311/2024

(ईएफटी) के अस्तित्व और संचालन के बारे में पूछताछ की। श्री सिंह इसके बारे में अपेक्षित विवरण देने में असमर्थ रहे।

2.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदित अधिकृत संचालन में “(i) नाइट्राइल सर्जिकल पाउडर और पाउडर मुक्त दस्ताने बाँझ और गैर-बाँझ (40151200); (ii) नाइट्राइल परीक्षा दस्ताने बाँझ और गैर-बाँझ (40151900); (iii) आर्थोपेडिक दस्ताने बाँझ और गैर-बाँझ (40151200)” के विनिर्माण को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा सीधे नाली/सीवर में छोड़े जा रहे अपशिष्ट/अपशिष्टों की स्थिति के बारे में भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इकाई पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अपेक्षित प्रमाण पत्र/निरीक्षण रिपोर्ट भी प्रदान करेगी।

(3) सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड - मौजूदा आइटम 'सीडर ड्राइव गियर बॉक्स' की उत्पादन क्षमता में वृद्धि।

3.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 'सीडर ड्राइव गियर बॉक्स (गैर-ऑटोमोबाइल के लिए) (87089900)' की उत्पादन क्षमता को 500 टुकड़े /वर्ष से बढ़ाकर 3000 टुकड़े /वर्ष करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(4) आर्शी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त भण्डारण माल को शामिल करना।

4.1 श्री राघव झुनझुनवाला, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSZ) को इकाई के परिसर का दौरा करने और इकाई को पहले से ही अनुमति दी गई गतिविधियों और इकाई द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे/अग्नि सुरक्षा आदि पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने अध्याय 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 90, 91 (9101, 9111, 91149030 को छोड़कर) 92, 94, 95, 96 (9608 को छोड़कर), 97 इकाई के अनुमोदित अधिकृत संचालन के अंतर्गत अतिरिक्त भंडारण वस्तुओं को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। अनुमोदन समिति ने आगे निर्णय लिया कि आयात या निर्यात के लिए निषिद्ध या प्रतिबंधित किसी भी उत्पाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, इकाई को किसी भी माल के भंडारण से पहले अग्नि सुरक्षा सहित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी और सभी प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय को इकाई के निरीक्षण और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फाइल पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया। इसके अलावा, इकाई को 21.08.24 के पत्र के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में बोर्ड के संकल्प की प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

सुरेंद्र मलिक

(5) महर्षि आयुर्वेद प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त व्यापारिक वस्तुओं को शामिल करना।

5.1 श्री समर्थ गुप्ता, सहायक महाप्रबंधक निर्यात और इकाई के प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के अनुमोदित अधिकृत संचालन में "वात पित्त कफ चाय उपहार सेट (पाउच और सिरेमिक कप) एचएस कोड: 69120010" के व्यापार को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

(6) टॉरस एंग्लोब प्राइवेट लिमिटेड - अनुसंधान एवं विकास तथा नमूनाकरण के लिए एक बार आयात और व्यापार की अनुमति के लिए अनुरोध।

6.1 अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSZ) ने सूचित किया कि इकाई को पहले से आयातित व्यापार किए गए माल के संबंध में आगे के व्यापार/आरएंडडी/नमूनाकरण की स्थिति प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिन्हें इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24/07/2024, 26/07/2024 और 20/08/2024 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुसंधान एवं विकास और नमूनाकरण के लिए एचएसएन 92099900 और 85185000 के तहत माल के आयात और व्यापार के लिए एक बार की अनुमति के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन समिति ने पहले से आयातित व्यापार किए गए माल के संबंध में व्यापार/आरएंडडी/नमूनाकरण की स्थिति और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया।

(7) सुशील जेम्स - अतिरिक्त मदों को शामिल करने/उत्पादन क्षमता को अद्यतन करने और निष्पादन की निगरानी के लिए अनुमोदन की पुष्टि की गई।

7.1 श्री सुशील जैन, प्रोपराइटर, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

7.2 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पाँच वर्षों के पहले ब्लॉक यानी 2019-20 से 2022-23 के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने उक्त अवधि के दौरान इकाई द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन की उपलब्धि पर भी ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने आगे ध्यान दिया कि 31/03/2023 तक कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

7.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और समुचित विचार-विमर्श के बाद अतिरिक्त प्राधिकृत परिचालनों को शामिल करने तथा मौजूदा प्राधिकृत परिचालनों की उत्पादन क्षमता को अद्यतन करने के लिए दी गई अनुमति की पुष्टि की।



(8) कैडेंस डिजाइन सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में अपनी अन्य इकाइयों के साथ वीपीएन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ अन्य सामान्य नेटवर्क उपकरणों को साझा करने का अनुरोध।

8.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रवीण सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने और डेटा सुरक्षा के लिए, इकाई ने अपने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSZ) स्थान पर अपने डेटा सेंटर को केंद्रीकृत और समेकित किया था। अब वे प्रस्ताव करते हैं कि उक्त सुविधा का उपयोग उनकी अन्य घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA)/विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) /गैर-एसटीपी इकाइयों द्वारा किया जा सकता है।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSZ) में सुसज्जित अन्य सामान्य नेटवर्क उपकरणों (वीपीएन गेटवे, फ़ायरवॉल, सर्वर, राउटर, स्विच, स्टोरेज) के साथ वीपीएन इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी (जैसा कि उनके पत्र में प्रस्तावित है)।

(9) ट्रेड परफेक्शनस - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण, स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त मदों को शामिल करना और निष्पादन की निगरानी।

9.1 इकाई में भागीदार श्री राजेश अग्रवाल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

9.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्तुत एपीआर के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पाया कि इकाई की निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक यानी 24/05/2019 से 23/05/2024 तक 3701.10 लाख रुपये के बराबर नकारात्मक है। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि वर्तमान में इकाई के खिलाफ 8,39,778 रुपये की लीज किराया राशि बकाया है।

9.3 यह भी बताया गया कि स्वीकृति पत्र (LOA) नवीनीकरण के आवेदन में कुछ कमियां भी देखी गई हैं।

9.4 नकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) के संबंध में प्रतिनिधि की प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, अनुमोदन समिति ने इकाई प्रतिनिधि को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 80 के निम्नलिखित प्रावधानों से अवगत कराया:

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 का नियम 80: यदि कोई विशेष आर्थिक जोन इकाई, वास्तविक चूक के मामले में, न्यूनतम निर्दिष्ट शुद्ध विदेशी मुद्रा या निर्दिष्ट मूल्य संवर्धन प्राप्त करने में विफल रहती है, तो ऐसी कमी को इकाई द्वारा फ्री ऑन बोर्ड मूल्य में कमी के एक प्रतिशत के बराबर राशि जमा करने के बाद नियमित किया जा सकता है।

सुरेंद्र मलिक

9.5 श्री अग्रवाल ने उपरोक्त प्रावधानों पर ध्यान दिया तथा निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय में कमी के नियमितीकरण के लिए नियम 80 के तहत उचित जुर्माना लगाने के मामले का निर्धारण करने का अनुरोध करते हुए अपनी सहमति दी। श्री अग्रवाल ने बकाया पट्टा किराया तुरंत जमा करने का आश्वासन भी दिया।

9.6 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की तथा उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा बोर्ड पर मुफ्त मूल्य में कमी के एक प्रतिशत के बराबर राशि जमा करने के बाद कमी को नियमित करने का निर्णय लिया तथा विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSZ) को तदनुसार निर्णय आदेश जारी करने के लिए सशक्त किया। अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त अधिकृत संचालन सहित प्रस्तावित अधिकृत संचालन के अनुसार पांच साल के पांचवें ब्लॉक की शेष अवधि यानी 23/05/2029 तक के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के इकाई नवीनीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। यह जुर्माना राशि जमा करने, बकाया पट्टा किराया के निपटान तथा कमियों को दूर करने के अधीन होगा।

(10) अपोडिक्टिक रिसर्च एलएलपी - सेवा चालान का समर्थन और सॉफ्टवेक्स फॉर्म दाखिल करने से संबंधित मुद्दे।

10.1 अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। यह सूचित किया गया कि इकाई ने अपने ईमेल दिनांक 08/09/2024 के माध्यम से स्थगन का अनुरोध किया है।

10.2 अनुमोदन समिति ने इकाई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और प्रस्ताव को अपनी अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया।

(11) इंडस वैली पार्टनर्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSZ) में एक नई इकाई स्थापित करना।

11.1 श्री एम पी. कैला, श्री दीपक बत्रा और श्री निखिल अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री बत्रा ने बताया कि हाल ही में उनकी मूल कंपनी ने यूएसए स्थित कंपनी "इंटीग्र डेटा, न्यूयॉर्क" का अधिग्रहण किया है और उन्होंने उक्त कंपनी के ग्राहकों की सेवा के लिए एक नई कंपनी स्थापित की है।

11.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स इंडस वैली पार्टनर्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSZ) में "प्रबंधन परामर्श सेवाएं (सीपीसी-865) और सॉफ्टवेयर विकास (सीपीसी-842)" के लिए एक इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन कमियों को दूर करने और कार्यसूची नोट में बताई गई प्रासंगिक जानकारी/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

(12) पीएस ऑटोटेक एलएलपी - स्वीकृति पत्र (LOA) की समीक्षा और प्रदर्शन की निगरानी।

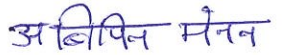
सुरेंद्र मजिठ

12.1 अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। यह बताया गया कि इकाई ने अपने ईमेल दिनांक 098/09/2024 के माध्यम से कहा है कि चिकित्सा आपातकाल के कारण वे बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं और उन्होंने बैठक को स्थगित करने का अनुरोध किया है।

12.2 अनुमोदन समिति ने इकाई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।


(सुरेन्द्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त